भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4150
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आनुवंशिकी और अंत:स्त्राविका में डीएम पाठ्यक्रम

4150. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आनुवंशिकी और अंतःस्त्राविका में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) अति-विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड एमडी जैव-रसायन, जिसे पहले योग्य माना जाता था, को छोड़कर, कतिपय चिकित्सा योग्यताओं तक ही सीमित है;

(ख) आनुवंशिकी और अंतःस्त्राविका में अति-विशेषज्ञता के लिए एमडी जैव-रसायन स्नातकों के पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता के बावजूद, इन क्षेत्रों में उन्हें अनुमति नहीं दिए जाने के पीछे का तर्काधार क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार है कि एमडी जैव-रसायन आनुवंशिकी और अंतःस्त्राविका में अति-विशेषज्ञता के लिए उपयुक्त है, और इस प्रकार के कदम से चिकित्सा पेशे और स्वास्थ्य सेवा दोनों को लाभ होने की संभाव्यता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आनुवंशिकी और अंतःस्त्राविका में डीएम पाठ्यक्रमों के लिए एमडी जैव-रसायन स्नातकों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित करने का है ताकि अधिक योग्य स्वास्थ्य देखरेख पेशेवरों के लिए अवसर बढ़ सकें?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम 2019 की धारा 57 में आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विभिन्न विनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। एनएमसी ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम तैयार किया है, जिसके तहत जेनेटिक्स और एंडोक्राइनोलॉजी में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डीएम) सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स के लिए पात्रता मानदंड एमडी जनरल मेडिसिन और/या एमडी पीडियाट्रिक्स है।

एमडी बायोकैमिस्ट्री स्नातकों को जेनेटिक्स और एंडोक्राइनोलॉजी में सुपर-स्पेशलाइजेशन करने की अनुमति न देने के पीछे का तर्क यह है कि नैदानिक बनाम प्रयोगशाला-आधारित विशेषज्ञता की प्रकृति भिन्न-भिन्न है तथा इसके लिए पूर्व नैदानिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

****